सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक– 687/ कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026, दिनांक– 06–08–2026

सेवा में,

1. **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण**
 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
 समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– 'हर घर तिरंगा अभियान–2026' के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–787 / सत्तर–3–2025–1957545 दिनांक 05 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (पत्र संलग्न) जिसके द्वारा संस्कृति अनुभाग के पत्र संख्या–2225 / चार–2026–1955062, दिनांक 05 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या–183 / 2026 / 2084 / चार–2026–1955062 दिनांक 30 जुलाई, 2026 द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 के बीच **'हर घर तिरंगा अभियान–2026'** के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वयक जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में **'हर घर तिरंगा अभियान–2026'** के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में दिनांक 06 अगस्त, 2026 की अवधि में चरणवार उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है।

1. प्रथम चरण– (दिनांक 06 – 08 अगस्त, 2026)
2. द्वितीय चरण– (दिनांक 09 – 12 अगस्त, 2026)
3. तृतीय चरण– (दिनांक 13 – 15 अगस्त, 2026)

अतः उपरोक्त के संदर्भ में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु संलग्न पत्र के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज एवं तिरंगा थीम के अनुरूप सजावट, छात्र–छात्राओं की व्यापक सहभागिता के साथ तिरंगा रैली, निबंध, भाषण, पोस्टर, रंगोली, क्विज एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ, राष्ट्रीय ध्वज संहिता पर जागरूकता कार्यक्रम, एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स–रेंजर्स तथा अन्य छात्र संगठनों की सहभागिता इत्यादि कराते हुए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ एवं वीडियो सुरक्षित रखना तथा शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु एवं आयोजित कार्यक्रमों की प्रतिवेदन, विडियोंग्राफी व जियोटैगिंग फोटोग्राफी दिनांक 16 अगस्त, 2026 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे शासन को ससमय सूचना प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक– यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– /तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक—687/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026, दिनांक— 06—08—2026

सेवा में,

1. **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. **प्राचार्य/प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय— 'हर घर तिरंगा अभियान—2026' के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—787/सत्तर—3—2025—1957545 दिनांक 05 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (पत्र संलग्न) जिसके द्वारा संस्कृति अनुभाग के पत्र संख्या—2225/चार—2026—1955062, दिनांक 05 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या—183/2026/ 2084/चार—2026—1955062 दिनांक 30 जुलाई, 2026 द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 के बीच **'हर घर तिरंगा अभियान—2026'** के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये है। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वयक जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में **'हर घर तिरंगा अभियान—2026'** के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में दिनांक 06 अगस्त, 2026 की अवधि में चरणवार उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है।

1. प्रथम चरण— (दिनांक 06 — 08 अगस्त, 2026)
2. द्वितीय चरण— (दिनांक 09 — 12 अगस्त, 2026)
3. तृतीय चरण— (दिनांक 13 — 15 अगस्त, 2026)

अतः उपरोक्त के संदर्भ में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु संलग्न पत्र के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज एवं तिरंगा थीम के अनुरूप सजावट, छात्र—छात्राओं की व्यापक सहभागिता के साथ तिरंगा रैली, निबंध, भाषण, पोस्टर, रंगोली, क्विज एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ, राष्ट्रीय ध्वज संहिता पर जागरूकता कार्यक्रम, एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स—रेंजर्स तथा अन्य छात्र संगठनों की सहभागिता इत्यादि कराते हुए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ एवं वीडियो सुरक्षित रखना तथा शासन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु एवं आयोजित कार्यक्रमों की प्रतिवेदन, विडियोंग्राफी व जियोटैगिंग फोटोग्राफी दिनांक 16 अगस्त, 2026 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे शासन को ससमय सूचना प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक— यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक—687/तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-787/सत्तर-3-2025-1957545

प्रेषक,

शकील अहमद सिददीकी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०।
4- विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषयः- 'हर घर तिरंगा अभियान-**2026**' के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संस्कृति अनुभाग के पत्र संख्या- 2225 /चार-2026-1955062, दिनांक 05 अगस्त, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त 2026 के बीच 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वय जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में दिनांक 06 अगस्त से 15 अगस्त, 2026 की अवधि में चरणवार उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं:-

1. प्रथम चरण- (दिनांक **06 - 08** अगस्त **2026)**

I. स्कूलों की दीवारों और बोर्डो को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाना।

II. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित हर घर तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।

III. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से भेजना।

V. तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाजारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।

VI. पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाये। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकन मनी के साथ किया जाये।

VII. स्वतंत्रता संग्राम से जुडे शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से करायी जाये।

2- द्वितीय चरण- (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)

I. प्रत्येक जिलों में स्कूल/कालेज तथा तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों को आमंत्रित कर 26 जनवरी 2027 को सम्मानित किया जाये।

II. द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसके अन्तर्गत वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉसर्ट आयोजित किया जाना।

III. प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।

IV. तिरंगा मेला' के आयोजन में प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों स्थानीय उत्पादों' (ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / श्रृंगार सामग्री आदि) का बिक्रा एवं प्रदशन किया जाये।

V. मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन किया जायेगा।

VI. वैबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।

VII. वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम 'का आयोजन किया जाना।

VIII. प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भंडारों और स्थानीय बाजार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।

IX. सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

X प्रत्येक नागरिक को 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।

3- तृतीय चरण (दिनांक **13-15** अगस्त **2026)**

I. दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत

सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

II. स्वतंत्रता दिवस के दिन बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की रैली निकाली जाये। रैली के प्रारम्भ से पूर्व वंदे मातरम् का गायन किया जाये। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाये। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा खो-खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि का आयोजन किया जाये। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये गये जन-प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण किया जाये।

III. आंगड़बाड़ी केन्द्र/वृद्धाश्रमों/निरासित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधारगृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाये।

IV. ग्राम प्रधान व ग्राम पंयायत अधिकारी द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाये तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाये।

V. समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।

VI. प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।

VII. स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थलों जैसे शहीद स्मारक मेरठ चौरी-चौरा गोरखपुर, झांसी का किला, बिठूर कानपुर, रेजीडेन्सी लखनऊ, बलिया शहीद स्मारक, सुहेलदेव स्मारक बहराइच पर 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे- धनसिंह गुज्जर, शहीद बंधु

सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मी बाई, चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, गुलाब सिंह लोधी, चन्द्र शेखर आजाद, रामचन्द्र विद्यार्थी जैसे शहीदों को याद किया जाये।

VIII. शहीद स्थलों/स्मारकों/सुमारकों पर पुलिस बैण्ड/पीएसी बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देशप्रेम संबंधी गीतों की धुन का वादन किया जाये।

IX. प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफैन्स, होमगाड्र्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाना।

X. उक्त आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएँगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी की भागीदारी सुनिश्चित हो ।

XI. तिरंगा रैली में एन०सी०सी०/एन०एस०एस०/ नेहरू युवा केन्द्र के साथ-साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेन्स के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाये।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलगनक- यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 05-08-2026
19:39:03

(शकील अहमद सिददीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

(2) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

(3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

(4) निजी सचिव, प्रमु ख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

(5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

(6) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

(7) समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिददीकी)

संयुक्त सचिव।

1-05-08
Comp# 4259734

सख्या- 2225 /चार- 2026-1955062

2309/PSHED/...

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग:- लखनऊः दिनांक 05 अगसत, 2026

विषयः **'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के संबंध में ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-183/2026/2084/चार-2026-1955062 दिनांक 31 जुलाई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश में दिनांक 09 से 17 अगस्त 2026 के बीच **'हर घर तिरंगा अभियान-2026'** के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। ज़िला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का समन्वय ज़िलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। **'हर घर तिरंगा अभियान-2026'** के उल्लिखित शासनादेश के क्रम में अभियान की चरण बद्ध रूप रेखा निम्नवत् है:-

1- प्रथम चरण - (दिनांक 06 - 08 अगस्त 2026)

I. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कलाकृतियों से सजाना।
II. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रेषित हर घर तिरंगा प्रदर्शनी (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डा सार्वजनिक उद्यान आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।
III. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
IV. विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से भेजना|
V. तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाज़ारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।
VI. पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाये। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकन मनी के साथ किया जाये।
VII. स्वतंत्रता संग्राम से जुडे शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ-सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से करायी जाये।

सचिव/ 50-3 5/08/26

2-द्वितीय चरण - (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2026)

(आर०पी० चौधरी) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

I. प्रत्येक जिलों में सकूल/कालेज तथा तकनीकी संस्थानों में जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों को आमंत्रित कर 26 जनवरी, 2027 को सम्मानित किया जाये।
II. द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव' के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूज़िकल कॉसर्ट आयोजित किया जाना।
III. प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।
IV. 'तिरंगा मेला' के आयोजन में प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग के'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों'स्थानीय उत्पादों' (ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / श्रृंगार

सामग्री आदि) की बिक्री एवं प्रदर्शन किया जाय।

V. मुख्य कार्यक्रमों के दौरान 'तिरंगा मेले' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन किया जायेगा।

VI. वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।

VII. वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम 'का आयोजन किया जाना।

VIII. प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भंडारों और स्थानीय बाज़ार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।

IX. सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

X. प्रत्येक नागरिक को 'झण्डा संहिता' तथा झण्डा फहराने के तरीकों के संबंध में अवगत कराया जाये। इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर चलाये जायें।

3- तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2026)

I. दिनांक 13 से 15 अगस्त 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

II. स्वतंत्रता दिवस के दिन बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की रैली निकाली जाये। रैली के प्रारम्भ से पूर्व वंदे मातरम् का गायन किया जाये। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाये। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा- खो-खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि का आयोजन किया जाये। मुख्य अतिथि के रूप मे आमंत्रित किये गये जन-प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण किया जाये।

III. आंगड़बाड़ी केन्द्र/वृद्धाश्रमों/निरासित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधारगृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाये।

IV. ग्राम प्रधान व ग्राम पंयायत अधिकारी द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाये तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाये।

V. समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।

VI. प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाये।

VII. स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थलों जैसे शहीद स्मारक मेरठ चौरी-चौरा गोरखपुर, झांसी का किला, बिठूर कानपुर, रेजीडेन्सी लखनऊ, बलिया शहीद स्मारक, सुहेलदेव स्मारक बहराइच पर 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे- धनसिंह गुज्जर, शहीद बंधु सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मी बाई, चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय, गुलाब सिंह लोधी, चन्द्र शेखर आजाद, रामचन्द्र विद्यार्थी जैसे शहीदों को याद किया जाये।

VIII. शहीद स्थलों / स्मारकों पर पुलिस बैण्ड/पीएसी बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देशप्रेम संबंधी गीतों की धुन का वादन किया जाये।

IX. प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफैन्स, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाना।

X. उक्त आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएँगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो ।

XI. तिरंगा रैली में एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/नेहरु युवा केन्द्र के साथ-साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेन्स के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाये।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से **'हर घर तिरंगा अभियन-2026'** के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। संस्कृति विभाग से हर घर तिरंगा अभियान 2026 का समन्वय श्रीमती रीनू रंगभारती , (मो० नं०-9415068031) सहायक निदेशक संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। समस्त जनपदों द्वारा कार्यक्रम की सूचना संस्कृति विभाग के पोर्टल https://culturalevents.in/ के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय
Digitally signed by
AMRIT ABHIJAT
Date: 04-08-2026
18:36:49
(अमृत अभिजात)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त विभागध्यक्ष, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त राष्ट्रीय के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
DEEPA RANJAN
Date: 05-08-2026
(दीपा रंजन)
विशेष सचिव